न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 15/529

1. हरगोविन्द आत्मज घांसी लाल जी ।
2. प्रेम बाई पुत्री घांसी लाल जी ।
3. मोहनी बाई पुत्री घांसी लाल जी ।
4. सोहनी बाई पुत्री घांसी लाल जी ।
5. भूली बाई पुत्री घांसी लाल जी ।
6. मनभर बाई पुत्री घांसीलाल जी ।
7. गोविंदी बाई पुत्री घांसीलाल जी ।
8. मंजू बाई पुत्री घांसी लाल जी ।
9. गायत्री बाई पुत्री घांसीलाल जी ।
10. सुमित्रा बाई पुत्री घांसी लाल जी ।
11. राजू बाई पुत्री घांसी लाल जी ।
12. शक्ति बाई बेवा घांसी लाल जी जाति माली निवासीगण ग्राम खण्डगॉव नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।
2. वन विभाग क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन खण्ड सुल्तानपुर ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार (भू0अभिलेख) दीगोद जिला कोटा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् निरस्त करने नियमन का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी कम 1 को किये गये नियमन एवं बिना किसी अधिकार के काबिज अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 808 रकबा 0.25 हैक्टर को निरस्त किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.09.2015 के द्वारा तहसीलदार, दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् निरस्त करने नियमन का स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के उसके गैरखातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 808 रकबा 0.25 हैक्टर को खारिज करते हुए उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवायक खाता सरकार दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता एवं पति घांसीलाल आत्मज पांचू लाल जो गरीब, ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति थे जिनको अधिसूचना दिनांक 02.01.1967 के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 528 की 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 01.03.1969 को नियमन की गई जिसकी पालना में अपीलान्ट के पिता को कब्जा दिया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज की गई। अपीलान्ट के पिता व पति को विशेष अधिसूचना व विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत जमीन का नियमन किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने किसी भी साक्ष्य एंव दस्तावेज से यह साबित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी उसे आवंटित/नियमन की गई हो । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के पिता एवं पति घांसीलाल आत्मज पांचू लाल को अधिसूचना दिनांक 02.01.1967 के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 528 की 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 01.03.1969 को नियमन की गई जिसकी पालना में अपीलान्ट के पिता को कब्जा दिया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज की गई। अपीलान्ट के पिता व पति को विशेष अधिसूचना व विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत जमीन का नियमन किया गया था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 11.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा